

IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR

P.S-75/19

RAJ KUMAR CHAUDHARY AND OTHERS PLAINTIFFS

Vs.

RAJNISH KUMAR JAISWAL AND OTHERS..... DEFENDANTS

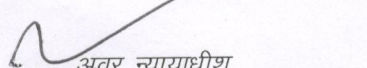
09.08.19

वादी की ओर से हाजरी दी गई। पुकार पर वादी के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के संशोधन आवेदन दिनांक- 26.07.19 पर विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

वादी का कथन है कि प्रस्तुत वाद दाखिल करते समय वादपत्र में प्रतिवादी संख्या-9 के पिता का नाम एवं पता लिखना छूट गया था। उक्त संदर्भ में वादपत्र में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

अभिलेख का अवलोकन किया। यह वाद प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु चला आ रहा है। प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है, जिससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वादी का आवेदन शपथ-पत्र से समर्थित है। अतः न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। तदनुसार वादपत्र में संशोधन करें।

दिनांक- 20.09.19 वास्ते करने निर्गत सम्मन।


अवर न्यायाधीश